



दिनांक: 27.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा गौ तस्कर अभियुक्त को 01 नाजायज छूरे सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं गौकशी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.03.2024 को चैकिंग के दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर गौ तस्कर अभियुक्त सलमान पुत्र इरफान उर्फ फाना नि0 ग्राम महमूद मजरा रायपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर को मलकपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से एक छूरा बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 58/24 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सलमान उपरोक्त ने बताया कि मैं लोगो को डराने धमकाने के लिए अपने पास छूरा रखता हूँ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सलमान पुत्र इरफान उर्फ फाना नि0 ग्राम महमूद मजरा रायपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0स0 187/21 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 2.मु0अ0स0 299/21 धार 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

01 अदद छूरा बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.का0 2415 अंकित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 2.का0 2543 सोनू कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 27.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा गौ तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं गौकशी की घटनाओं की रोकथाम हेतु गौतस्करो अपराधियों की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.03.2024 को चैकिंग के दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर गौ तस्कर अभियुक्त सब्बू पुत्र हनीफ निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर मय दो जिन्दा कार0 12 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 55/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त सब्बू उपरोक्त ने बताया कि मैं लोगो पर रौब जमाने के लिए अपने पास तमंचा रखता हूँ मुझे हथियार रखने का शौक है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सब्बू पुत्र हनीफ निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 103/20 धारा 188 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

मु0अ0सं0 150/21 धारा 5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

मु0अ0सं0 01/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

01 देशी तमंचा 12 बोर

02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री यशपाल सिंह सोम थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हे0का0 424 संजय धामा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हेका0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. का0 2028 प्रवीन कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 27.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 बोतल देशी शराब FIRST CHOICE हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.03.2024 को चैकिंग के दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. सूरज उर्फ सिद्धार्थ पुत्र विनोद निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर 2. सौरभ पुत्र जनेश्वर निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर को स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जाने वाले रास्ते से 24 बोतल देशी शराब FIRST CHOICE हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 56/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त गण ने एक स्वर में बताया कि हम लोग हरियाणा से शराब खरीदकर ले आते हैं तथा रास्ते में चलने वाले ट्रक चालको को ज्यादा दामो में बेच देते हैं। जिससे हम लोगो की अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. सूरज उर्फ सिद्धार्थ पुत्र विनोद निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर
2. सौरभ पुत्र जनेश्वर निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

कुल 24 बोतल देशी शराब FIRST CHOICE हरियाणा मार्का बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 638 प्रमोद कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हेका0 2284 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 27.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्करी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण व नशा तस्करी आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सावेज पुत्र अनवार निवासी मौ0 एकता कालोनी थाना कु0शेर जनपद सहारनपुर को भट्टे वाले चौक के पास खाली पड़े खेत से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सावेज उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 97/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त सावेज उपरोक्त ने बताया कि मैं हरियाणा से शराब की बोतल खरीद कर ले आता हूँ तथा आस-पास व राह चलते लोगो को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- सावेज पुत्र अनवार नि0 मौ0 एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सावेज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 297/22 धारा 380/411 भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

2-मु0अ0सं0 97/2024 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का (RASEELA MALTA)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 सचिन पूनियां थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 854 अमित थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1823 श्रवण थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक:- 27.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमें का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 01 चाकू नाजायज व 650/- रुपये नकद बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.03.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शांतिर **अभियुक्त मोबिन उर्फ काला पुत्र मेहंदी हसन निवासी ग्राम छोटा लापरा थाना सदर यमुनानगर जिला यमुनानगर (हरियाणा)** को माढी से बहलोलपुर की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना सरसावा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 201/23 धारा 380/457/427/411 भादवि में वांछित था। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 650 रुपये जो अभियुक्त द्वारा बैटरे चोरी कर बेचकर लिये हैं तथा एक नाजायज चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोतरी की गयी।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने अपने ही गाँव के रहने वाले अपने साथी के साथ मिलकर ग्राम हैदरपुर के सरकारी स्कूल में कमरे का ताला तोड़कर दो बैटरे चोरी कर लिए थे। जिनमें से एक बैटरे मेरे हिस्से में आया था तथा दूसरा बैटरे मेरा साथी ले गया था। मेरे हिस्से के बैटरे को मैंने अभी होली से पहले एक राह चलते कबाडी को बेच दिया था जो 650 रुपये मेरे पास से मिले हैं यह उसी बैटरे से मिले पैसों में से बचे और यह चाकू मैं लोगो को डराने और धमकाने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोबिन उर्फ काला पुत्र मेहंदी हसन निवासी ग्राम छोटा लापरा थाना सदर यमुनानगर जिला यमुनानगर हरियाणा

बरामदगी का विवरण

01 चाकू नाजायज

650 रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम

- उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल , थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- हे0का0 962 अमित मलिक, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- का0 2557 कृष्ण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक:- 27.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ सहारनपुर पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने के मामलों में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.03.2024 को थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण को शान्ति भंग करने के मामले में अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया जिनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1- मागेराम पुत्र बलजीत सिंह निवासी कालूवाला पहाडीपुर उर्फ जहानपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
- 2- कश्मीर पुत्र विशम्भर निवासी कालूवाला पहाडीपुर उर्फ जहानपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम

1. उ0नि0 श्री वेदप्रकाश थाना बिहारीगढ
2. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ



दिनांक- 27.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, शांति अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.03.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शांति जिला बदर अभियुक्त सुमित उर्फ डैनी पुत्र नरेश नि० ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुमित उर्फ डैनी उपरोक्त को मा० न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 9.12.2023 से 06 माह के लिये जिला बदर किया गया था। गिरफ्तारी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 62/24 धारा 10 यू०पी० गुण्डा अधि० बनाम सुमित उर्फ डैनी उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुमित उर्फ डैनी पुत्र नरेश नि० ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 97/22 धारा 414 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
- 2- मु०अ०सं० 98/22 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना फतेहपुर सहारनपुर
- 3- मु०अ०सं० 273/22 धारा 380/411 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
- 4- मु०अ०सं० 151/23 धारा 60 आबकारी अधि० थाना फतेहपुर सहारनपुर
- 5- मु०अ०सं० 62/24 धारा 10 यू०पी० गुण्डा अधि० थाना फतेहपुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री कृष्ण कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. का० 811 दीपक कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 27.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01

तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.03.2024 को चैकिंग के दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त रहीश पुत्र खालिक निवासी ग्राम फैजाबाद थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर को ग्राम फैजाबाद के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 देशी तमंचा नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 57/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय रसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त रहीश उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ। जो तमंचा व कारतूस पुलिस टीम द्वारा मुझसे आज बरामद किया गया है उसे मैं रोब गालिब करने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रहीश पुत्र खालिक निवासी ग्राम फैजाबाद थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0स0 311/19 धारा 5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 01 देशी तमंचा नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 यशपाल सिंह सोम थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हे0का0 424 संजय धामा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हे0का0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 4.का0 2028 प्रवीन कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 27.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थों व अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. विकास पुत्र कालाराम निवासी ग्राम बिडवी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2.अनुज पुत्र तेल्लूराम निवासी ग्राम बिडवी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को अम्बाला हाईवे पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कुल 1 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 92/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

पूछताछ करने पर अभियुक्त विकास उपरोक्त ने एकस्वर में बताया कि हम दोनो कम पढे लिखे हैं व नशा कने का आदिहैं। हम दोनो गांजा सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. विकास पुत्र कालाराम निवासी ग्राम बिडवी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- 2.अनुज पुत्र तेल्लूराम निवासी ग्राम बिडवी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 700 ग्राम गांजा (अभियुक्त विकास से बरामद)
- 800 ग्राम गांजा (अभियुक्त अनुज से बरामद)

अभियुक्त विकास उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 164/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
- 2.मु0अ0सं0 367/22 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
- 3.मु0अ0सं0 278/19 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना नागल जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 है0 का0 971 राजीव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 1890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 1921 विकास कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर